

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड झालावाड़

क्रमांक : 1850

दिनांक : 22-01-2021

श्रीमान् उप वन संरक्षक
झालावाड़

विषय:- **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works
Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor,
Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227)
Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

की अन्तिम स्वीकृति जारी करने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 () 2019 / झालावाड़ रोडस / एफसीए / प्रमुवस / 2767 दिनांक 29.09.2020

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक संदर्भित प्रस्ताव में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम झालावाड़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में झालरापाटन, गिंदोर रेलवे स्टेशन झिकरिया किषनपुरा दुर्गपुरा गागरोन (एम.डी.आर.-227) हेतु 0.9990 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) की सैद्धान्तिक स्वीकृति 20 वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों की पालना बिन्दुवार विभाग द्वारा की जा चुकी है :-

(अ) एफ.आर.ए. प्रति- श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा क्रमांक 1314 दिनांक 15.01.2021 को दी गई एफ.आर.ए. की प्रति।

(ब) आपका पत्र क्रमांक 1847 दिनांक 22.01.2021 द्वारा दिये चालान में दशाई गई राशि की प्रति जो वर्क्स अकाउंट मॉनिटरिंग सिस्टम से प्राप्त की गई।

(स) सैद्धान्तिक स्वीकृतिया:-


1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।
5. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को क्षति न हो।
7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रस्तावित स्थल के पास वन्यजीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारित है जिनको प्रयोक्ता एजेन्सी निर्धारित मापदण्डों अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्यजीवों के आवागमन हेतु) पुनः निर्माण करवायेगी।
9. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन खण्ड लोटियाझीर से सौ मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवा दिया जायेगा।
10. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेंच के आस पास वन भूमि की फेंसिंग करवा दी जायेगी।
11. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित कर दी गई है।
12. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
13. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal)
14. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरुपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) चालान व बिल की छायाप्रति संलग्न है।
15. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।
16. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

17. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 17 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जायें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है।

सा.नि.वि द्वारा उपरोक्त शर्तों की पालना कर दी गयी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि उक्त निर्माण हेतु अन्तिम स्वीकृति जारी करने का श्रम करावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार पेज नं. 1 से 23



(आर.के.सानी)
अधिकापी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड

क्रमांक :

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई)सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. संभाग, कोटा।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त झालावाड़।


अधिकापी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 1851

दिनांक : 22.12.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gargon (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।


(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

कार्यालय अधिशाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 1852

दिनांक : 22.12.19

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagrion (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।


(आर.के.सीनी)
अधिशाशी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

7

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 1853

दिनांक : 22.12.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।


(आर.के.सोनी)
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 1854

दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।


(आर.के.सानी)
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 1855

दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।


(आर.के.सोनी)
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(19)

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 1856

दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को क्षति न हो।


(आर.क.सोनी)
अधिषाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 1857

दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।


(आर.के.सोनी)
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 186

दिनांक : 22.11.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gargon (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित कर दी गई है।


(आर.के.सोनी)
अधिषाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 1862

दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।


(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 1863

दिनांक : 22.12.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

1. प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करा दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।


(आर.के.सोनी)
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 1864

दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

1. प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) चालान व बिल की छायाप्रति संलग्न है।


(आर.के.सानी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 1865

दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।


(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 1866

दिनांक : 22.11.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।


(आर.के.सोनी)
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 1867

दिनांक : 22.12.19

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 17 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है।


(आर.के.सानी)
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

2014-15 to 2016-17. Details are provided in the RFP documents. Period of sale of documents is from 22nd December, 2020 to 11.00 hrs. on January 5, 2021. The RFP document for the required services along with the terms of reference, scope of work and other details can be downloaded from the website www.eproc.rajasthan.gov.in. The cost of document is Rs. 2000 and bid security amount which is to be paid by enclosing DD in favour of Conservator of Forests and T.A. to Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Rajasthan, Jaipur payable at Jaipur, RISL fee of Rs. 500 is to be paid by DD in favour of Managing Director, RISL payable at Jaipur. Any Bid submitted without the payment of bid document price, processing fee and EMD (bid security) would be rejected. The last date of on-line submission of RFP is upto January 5, 2020, 15.00 hrs. on the Website www.eproc.rajasthan.gov.in Tender ID 2020_FORES_208572_1

Address for communication: Conservator of Forests and T.A. to Principal Chief Conservator of Forest (HoFF) Rajasthan, Jaipur Rajasthan India PIN302004. Tel.NO. Ph: 0140-2700016/2700152/2713852/2713814
Additional Principal Chief Conservator of Forest (M&E), Rajasthan, Jaipur
DIPRC/9991/2020

Flaesh, Rajasthan and West Ghazal Flaesh during next 24 hours on Friday.

New Year revellers have to be aware that there will be dense to very dense fog with visibility under 50 metres in some parts of northern India till January 1, 1985

TIMES intera

jobs
writing & editing
pen

SITUATION VACANT
TEACHERS
CHANGE

MEDICAL

MEDICAL

REQ. Gen. Physician, Gen. Surgeon, Salary Negotiable - Vijay Hospital, Bharatpur (Raj.), vijayhospital@rediffmail.com, 9352731498

business

BUSINESS OFFERS

MY Earning is Rs20,000+/Day* See my Passive Earning Proof. Start-up Amt: Rs.12,000+ once*. Earn Rs.50,000 to Rs.2 Lakh/M. Zoom FEE - Rs 201 adjustable*. CALL me 4 Times: 91136 52397

CONSULTANTS

REQUIRE consultant for automated JUTE BAG/PP NON WOVEN RICE bag at uttarakhand-jute2021@gmail.com, 7838319903

E-AUCTION NOTICE (FIRE AFFECTED APPROX. 230 MT OF BURNT COTTON WASTE)

E-Auction forms are invited from interested buyers for disposal, strictly on "As Is Where Is" basis, on "Per-Kg basis", for Fire Affected Approx. 230 MT of Burnt Cotton waste belonging to M/s. Lovely Spintex. Salvage of the above materials can be inspected at 26 Mile Stone, NH-79, Bijainagar, Dist. Ajmer, Rajasthan, between 01/01/21 to 11/01/21, after taking prior appointment from Mr. Manoj Maheshwari - 9414008342. E-Auction to be held on 12/01/21. For E-Auction forms, Contact Mr. Atul Halarnkar at Mob: 9315902436 of Salvage Settlers Private Limited (Auctioneer) Registered Address: - RP-22, 2nd Floor, Pitampura, New Delhi-110034 or download from website: www.SalvageSettlers.com. Last date for submission of E-auction form is 11/01/21 before 4.00 PM.

IN my army Dob is recd as 05.07.1987 is 23.07.1985 pose Army I Kailash Cha ka Bass, B Distt. - Sikar

I prabhu Lal to correct my service record name and incorrec i vi.

I, No. 2708 Rajwade Singh Cast Jat 1 dhan Barar District JHD do hereby that, in my wife name S mistake, his real name MARI New all purpose.

I have chani Mitthu Lal thoo Lal Ph Lal Prajapa Add. Vill. N Dist. Udaip

I have ch: Ruksana B w/o Mohan wn in futu Ruksana Idi pura Kota.

IJC no 6683 Jitendra Ku changed n person of n harsh to Ht affidavit n 30/12/2020.

I, Mahave- Shri Phool resident o anpura, Tel Bhillwara i that: My o date of birt by mistake n 04.10.1999 ments (Arn general not declare tha corded da 01.05.2001. correct.

IJC no 668: Jitendra Ku changed n person of daughter I Sharma v AP 230087 I

I have chan Gopal Kri Gopal Kris ture I will new name Sharda s/ Sharda I nagar 3rd I

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प.1 (107)वप/2020 जयपुर, दिनांक: - 22 OCT, 2020

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)

राजस्थान, जयपुर।

विषय: Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227)(FP/RJ/ROAD/43002/2019)

सन्दर्भ: आपका पत्रांक एफ 14 (2019/झालावाड रोड्स/एफसीए/प्रमुत्तस/2767 दिनांक 29.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयवर्ती मन्दिर्त प्रस्ताव में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, झालावाड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में झालावाड, गिंदोर रेलवे स्टेशन जिक्रिया किशनपुरा दुर्गपुरा गाग्रोन (एम.डी.आर.-227) हेतु 0.9990 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन को स्वीकृति चाही गई है। नोटल अधिकांश वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रमुत्त किये गये प्रस्ताव पर विचारोपान प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) को सैद्धान्तिक स्वीकृति 20 वर्षों के पालन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है:-

- वन भूमि को वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- सावक विभाग द्वारा परिशोधन के निर्माण एवं रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र को वनस्थलियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपचार किये जावेगे।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले को वृक्षों वन विभाग को बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरी/स्टापक के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यत मजदूरी/स्टापक को रसीदें गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति को जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से पर निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की भूमि का कोई भी क्षति नहीं जावेगा।
- प्रस्तावित स्थल के आस-पास वन्यजीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारित है जिनका प्रयोक्ता एजेंसी निर्धारित मापदण्ड अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्यजीवों के आवागमन हेतु) पुनः निर्माण करवायेगी।
- प्रयोक्ता एजेंसी अपने व्यय पर वन खण्ड सोटियागौर से सी मीटर को दो एम्पटी का निर्माण करवायेगी।
- प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पैव के आस पास वन भूमि की फेंसिंग करवायेगी।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर राज्य सरकार में प्रेषित किये जाने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा मूल्य से 10 वर्षों का पालन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पालन होने पर पालन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए ऑनलाइन वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring Of forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सुचित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटाशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आर्डर संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निर्धारण निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निर्धारण प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ विकास के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि सुचित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/ यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर को छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन का बैंक चालान/ यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर को छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन का बैंक चालान (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदुपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. को दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
- भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय प्रिंट डिब्यूलन द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय को पालन प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को पुनः एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षर: प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

भवदीय,
(श्री. प्रवीण)
शासन सचिव

DIPRC/10005/2020

NEW YEAR SPECIAL

Happy New Year
www.naturewoodcottages.com
ECO-FRIENDLY COTTAGES
Termite Resistant
Water & Fire Resistant
Heat & Sound Insulated
Built in 80-100 Days
Deals in: Wooden Cottages / Resort Cottages / Pergola & Gazebos
Visit for Sample Cottage
Call: 9810546993, 9599308592
Email: naturewoodcottages@hotmail.com

Readers are recommended to make appropriate enquires and seek appropriate advice before sending money, incurring any expenses, acting on medical recommendations or entering into any commitment in relation to any advertisement published in this publication. The Times of India Group doesn't vouch for any services. The Printer, Advertisers of products and services. The Times of India Group publications shall not be held liable for any consequences, in the event such claims are not honoured by the Advertisers.

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांक:- 1847

दिनांक:- 22/1/2021

श्रीमान उप वन संरक्षक
झालावाड़

विषय:- Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor Railway Station Jhirniya Kishanpura
Durgpura Gagron (MDR-227) Proposal Number FP/RJ/Road/43002/2019.

प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक एफ () एफसीए/उवसं/2020-21/233 दिनांक 12.01.2021


महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor Railway Station Jhirniya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) का संशोधित डिमाण्ड नोट राशि रु. 769330/- का जारी किया गया था। उक्त डिमाण्ड नोट टी.वी. नं. 58933 दिनांक 21.01.2021 से राजस्थान केम्पा में ऑन लाईन जमा करा दी गई है (ट्रेजरी वाउचर प्रति संलग्न)।

प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में लगाई गई शर्तों की पूर्ण पालना कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय


(आर.कै. सोनी)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़



WORKS ACCOUNT MONITORING SYSTEM
Public Works Department, Jaipur
XEN PWD DN. JHALAWAR



Financial Year: 2
Version:

Date: 22-Jan-2021

Active Users:277 . Auto Logout after 19:56Minutes

Logged in by: audit.16598 Circulars Manual Logout



- Master
- Options
- Allocations v/s Expenditures
- Treasury Processing
- Add New Transaction
- Reports
- Treasuey Vocuhers

Treasury Vouchers (Criteria: VendorType: Others, Vendor: RAJASTHAN CAMPA ,Bill Created From: 01-01-2021 to 22-01-2021) Select criteria again

no	RefNo	BillDate	BillNo/GRNNo	BillType	Budget Head	GrossAmt	VendorName	NetAmt	TVNo/ChallanNo	TVDate	When Udpated From PayManager
1.	2517819	18/01/2021	10724	Vendor Payment Bill	3054-04-800-02-01-21-V-P	769330	RAJASTHAN CAMPA	769330	58933	21/01/2021	Passed

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-232230, E-mail- dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ () एफसीए/ उवसं/2020-21/233

दिनांक: 12/01/2021

निमित्त :-

अधिशायी अभियंता

सार्वजनिक निर्माण विभाग,

खण्ड-प्रथम, झालावाड़,।

विषय :- Rehabilitation of jhalrapatan ,Gindor,Railway station

Jhikriya, Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227)

PROPOSAL NUMBER (FP/RJ/ROAD /43002 /2019)

संदर्भ :- शासन सचिव वन विभाग राजस्थान सरकार का पत्रांक प. 1(107) वन/2020 दिनांक 22.10.2020 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 10852 दिनांक 10.11.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र जो कि आपको भी -पृष्ठांकित है से शासन सचिव वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति शर्ताधीन जारी की गयी है। सैद्धांतिक स्वीकृति के क्रम में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र से डिमांड नोट प्रेषित किया गया था। वर्तमान में श्रमिक दर में 213/-रु से 225/-रु हो गई है। अतः श्रमिक दर 225/-रु के अनुसार संशोधित डिमांड नोट निम्नानुसार प्रेषित है-

क्र. सं.	शर्त संख्या	गद	पूर्व में मांग राशि श्रमिक दर में 213/-रु.	संशोधित मांग राशि श्रमिक दर में 225/-रु	शुद्ध देय राशि
1	शर्त संख्या 13	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 0.999 @ 144100	136693	143956	143956
2	शर्त संख्या 14	एनपीवी की राशि 0.999 @ 626000	625374	-	625374
योग					769330

कुल देय राशि- सात लाख उनसत्तर हजार तीन सौ तीस रूपये मात्र

अतः आप उक्त राशि कॅम्पा अकाउन्ट मे ऑनलाईन जमा करवाकर प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में लगाई गई शर्तों की पूर्ण पालना सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(हिमन्त सिंह IFS)

उप वन संरक्षक

झालावाड़

दिनांक:

क्रमांक एफ () एफसीए/ उवसं/2020-21/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान।

2.संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा।

tv (Dep. S. G.)

उप वन संरक्षक

झालावाड़

D/SURVEYOR/FCA LETTER 01.08.2020

FORM-1

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Jhalawar, Rajasthan

TO WHOMSOEVER MAY CONCERN

No. 1314

Date 15.1.2021

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3 August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with MoEF's letter dated 5 February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.999 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Public work Department Div Jhalawar for construction of Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) in Jhalawar District falls within jurisdiction of Jhalrapatan & Ganwari village(s) in Jhalrapatan tehsils.

It is further certified that :

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.999 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s), Gram Sbha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (i) to annexure(X)
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pro agricultural communities.

Encl :- As above

Signature

(District Collector & District Magistrate)

Jhalawar

Date 15.1.2021

(District Collector & District Magistrate)

Jhalawar

No. 1314

Copy to the Executive Engineer PWD Div. Jhalawar for N/A

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांक:- 332
श्रीमान उपवन संरक्षक
झालावाड़

दिनांक:- 9/5/2022

विषय:- Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan. Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) (FP/RJ/ROAD/43002/2019).


प्रसंग:- आपके पत्रांक एफ () एफसीए/उवसं/2021-22/755 दिनांक 08.02.2022 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा चाही गई Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan. Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) (FP/RJ/ROAD/43002/2019). वन भूमि प्रत्यावर्तन की अन्तिम स्वीकृति हेतु शर्त संख्या 8,9 व 10 की पूर्ण पालना सादर प्रस्तुत है।

शर्त संख्या	बिन्दु	पालना
8	प्रस्तावित स्थल के आस पास वन्य जीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डरपास जो की पूर्व निर्धारित है जिनको प्रयोक्ता ऐजेन्सी निर्धारित मापदण्ड अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्य जीवों के आवागमन हेतु) पुनः निर्माण करवायेगी।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा 3 अण्डरपास का निर्माण करवा दिया गया है। फोटोग्राफ संलग्न है।
9	प्रयोक्ता ऐजेन्सी अपने व्यय पर वन खण्ड लोटिया झीर से 100 मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवायेगी।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी ने अपने व्यय पर वन खण्ड लोटिया झीर से 100 मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवा दिया गया है। फोटोग्राफ संलग्न
10	प्रयोक्ता ऐजेन्सी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेच के आसपास वन भूमि की फेंसिंग करवायेगी।	वर्तमान में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेच के आस-पास वन भूमि की फेंसिंग करवा दी गई है। फोटोग्राफ संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय




(आर.के.सोनी)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांक :- 332

प्रतिलिपि श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त झालावाड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

दिनांक :- 9/5/2022


अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan. Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) (FP/RJ/ROAD/43002/2019).



Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan. Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) (FP/RJ/ROAD/43002/2019).



Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan. Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) (FP/RJ/ROAD/43002/2019).



Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan. Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) (FP/RJ/ROAD/43002/2019).



Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan. Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) (FP/RJ/ROAD/43002/2019).



Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan. Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) (FP/RJ/ROAD/43002/2019).

